समाहरणालय,मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग ,बिहार, पटना के पत्रांक-47/आ0प्र0 दिनांक-25.08.2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड- P2245808000102 के विषय शीर्ष-2003 प्रशिक्षण व्यय के अन्तर्गत मो0 425000.00 (चार लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न शर्तो के अधीन निम्नांकित कार्यालय/पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित राशि के रूप में उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अंचल का नाम	पंचायत की संख्या	दर	वर्त्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	मधेपुरा	17	2500 रू0 प्रति पंचायत	42,500.00	42,500.00
2	सिहेंश्वर	13	2500 रू0 प्रति पंचायत	32,500.00	32,500.00
3	शंकरपुर	9	2500 रू0 प्रति पंचायत	22,500.00	22,500.00
4	धैलाढ़	9	2500 रू0 प्रति पंचायत	22,500.00	22,500.00
5	गम्हरिया	8	2500 रू0 प्रति पंचायत	20,000.00	20,000.00
6	मुरलीगंज	17	2500 रू0 प्रति पंचायत	42,500.00	42,500.00
7	कुमारखंड	21	2500 रू0 प्रति पंचायत	52,500.00	52,500.00
8	आलमनगर	14	2500 रू0 प्रति पंचायत	35,000.00	35,000.00
9	चौसा	13	2500 रू0 प्रति पंचायत	32,500.00	32,500.00
10	पुरैनी	9	2500 रू0 प्रति पंचायत	22,500.00	22,500.00
11	बिहारीगंज	12	2500 रू0 प्रति पंचायत	30,000.00	30,000.00
12	उदाकिशुनगंज	16	2500 रू0 प्रति पंचायत	40,000.00	40,000.00
13	ग्वालपाड़ा	12	2500 रू0 प्रति पंचायत	30,000.00	30,000.00
कुल		170		4,25,000.00	4,25,000.00

कुल - 4,25,000.00 (चार लाख पच्चीस हजार) रू0 मात्र

उपावंटन की शर्ते :-,

1. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-800 अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड- P2245808000102 के विषय शीर्ष-20 03 प्रशिक्षण व्यय मांग संख्या- 39, राज्य योजना स्कीम कोड- DIS-5332 के अन्तर्गत मो0 425000.00 (चार लाख पच्चीस हजार) रुपया मात्र मद में विकल्नीय होगा।
2. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिये राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीध्र भेज दिया जाय।
3. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लधशीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र कोड पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
4. उपावंटित राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही किया जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानो के अनुसार भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561/वि0(2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2014 तक निश्चित रूप से कर दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 659...../आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक......07.12.......2013

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल,सहरसा/संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

07/12/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।